



सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आईटी भवन, योजना भवन परिसर, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक F3(72)doc / Actt/Part IV /02661/2022

जयपुर, दिनांक- 19/04/2022

समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गण
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
मुख्यालय, जयपुर

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में।

संदर्भ:- अतिरिक्त निदेशक, सामान्य प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र 107-908 दिनांक 18.04.2022 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प4(72)वित्त/राजस्व/94-लूज दिनांक 18.04.2022।

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा समस्त अधिकारीओं/कर्मचारियों के द्वारा उनके व्यक्तिगत एसआईपीएफ पोर्टल पर दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदत्त प्रीमियम दरों में से किसी एक दर का चुनाव करना आवश्यक है। अतएव आप सभी दिनांक 22.04.2022 तक आवश्यक रूप से उक्त दर का चयन करें एवं उसकी एक प्रति भुगतान शाखा बी-10 बेसमेंट में प्रस्तुत करावे, ताकि माह अप्रैल 2022 का वेतन भुगतान की कार्यवाही की जा सके। उक्त दुर्घटना बीमा योजना के प्रस्ताव पत्र तय समय तक भुगतान शाखा में प्राप्त न होने पर दुर्घटना बीमा कटौती की राशि के विकल्प को न्यूनतम मानते हुए माह अप्रैल 2022 का वेतन आहरण कर दिया जायेगा।


एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं
आहरण वितरण अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट)
2. नोटिस बोर्ड।
3. रक्षित पत्रावली।


एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं
आहरण वितरण अधिकारी